बिहार सरकार
कृषि विभाग

कृषि निदेशालय, बिहार
(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग)

ई–मेल : rkvy.bihar@gmail.com वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in
दूरभाष / फैक्स सं0 : 0612-2204388

कृषि निदेशालय
प० स० प्र० सं० 250
दिनांक 02.3.2016

पीत–पत्र के बदले

संचिका संख्या–प्र०मं०कृ०सिं०यो०को०–01/2015

आई० टी० प्रबंधक,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत कृषि विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1103 दिनांक–29.02.2016 द्वारा जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (DLIC), संकल्प ज्ञापांक–1188 दिनांक–02.03.2016 द्वारा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) एवं संकल्प ज्ञापांक–1189 दिनांक–02.03.2016 द्वारा अन्तर–विभागीय कार्य समूह (IDWG) का गठन किया गया है। विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु उक्त तीनों संकल्पों की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त संकल्पों को आज ही विभागीय वेवसाईट पर आपलोड कराना सुनिश्चित करें।

ह० 02/03/16

(संजय कुमार सिंह)
उप निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण
–सह–
प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई०

बिहार सरकार,
कृषि विभाग
संकल्प

भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति की दिनांक–01.07.2015 को आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्ग–दर्शिका की कंडिका–13 के अनुसार योजना के क्रियान्वयन एवं अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (DLIC) गठित करने का प्रावधान है। जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति जिला स्तर पर सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। राज्य सरकार के द्वारा जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (DLIC) गठित करने पर सहमति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार से प्राप्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मार्ग–दर्शिका की कंडिका–13 के आलोक में निम्नप्रकार जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (DLIC) का गठन किया जाता है:–

1.	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण–		सदस्य
3.	जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
4.	सहायक निदेशक (उद्यान)		सदस्य
5.	कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन	–	सदस्य
6.	कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन	–	सदस्य
7.	जिला वन पदाधिकारी	–	सदस्य
8.	जिला उद्योग पदाधिकारी	–	सदस्य
9.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	–	सदस्य
10.	जिला गव्य पदाधिकारी	–	सदस्य
11.	जिला पशुपालन पदाधिकारी	–	सदस्य
12.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	–	सदस्य
13.	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	–	सदस्य
14.	उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण / उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण	–	सदस्य
15.	सिंचाई / कृषि के क्षेत्र में कार्यरत जिला के अग्रणी गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (नामित) (सदस्यता अवधि एक वर्ष)	–	सदस्य
16.	दो प्रगतिशील किसान (नामित) (सदस्यता अवधि एक वर्ष)	–	सदस्य
17.	परियोजना निदेशक, आत्मा	–	सदस्य सचिव

3. जिला पदाधिकारी आत्मा अन्तर्गत गठित जिला किसान सलाहकार समिति से दो प्रगतिशील किसानों तथा सिंचाई / कृषि के क्षेत्र में कार्यरत जिला के गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को नामित करने के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे। नामित सदस्यों का चयन एक वर्ष के लिए होगा।

D:\RKVY\SANKALP\Sankalp-3.docx

4. जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (DLIC) निम्न कृत्यों के लिए जिम्मेवार होगाः–

i. जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की देख–रेख एवं अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करना।

ii. जिला के अन्दर विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों/विभागों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करना एवं अनुमोदित जिला सिंचाई योजना/वार्षिक सिंचाई योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

iii. जिला सिंचाई योजना तैयार करना एवं इस पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त करना।

iv. जिला सिंचाई योजना के आधार पर वार्षिक सिंचाई योजना तैयार कर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु अग्रसारित करना।

v. वार्षिक सिंचाई योजना की प्रगति का अनुश्रवण एवं इसके क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों का समाधान करना तथा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को समय–समय पर प्रतिवेदन भेजना।

vi. कृषकों, पंचायती राज संस्थाओं, मीडिया एवं अन्य पणधारियों (Stakeholders) का जिला सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन–जागरण एवं प्रसार हेतु कार्रवाई करना।

5. परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दायित्वों के निर्वहण हेतु प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर आत्मा के अंतर्गत विद्यमान आधारभूत संरचनाओं एवं कर्मियों का उपयोग किया जायेगा।

6. आत्मा प्रबंध समिति प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े प्रसार गतिविधियों एवं समन्वय के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति District Level Implementation Committee (DLIC) को सहायता प्रदान करेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
26/02/16

(रामजी सिंह)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०मं०कृ०सिं०यो०को०–03/2015 1103 /कृ०, पटना दिनांक 29 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र (असाधारण अंक) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/02/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1103 /कृ०, पटना दिनांक 29 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\RKVY\SANKALP\Sankalp-3.docx

ज्ञापांक– 1103 /कृ०, पटना दिनांक 29 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– श्री आर०बी० सिन्हा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1103 /कृ०, पटना दिनांक 29 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/04/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1103 /कृ०, पटना दिनांक 29 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (DLIC) के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/04/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1103 /कृ०, पटना दिनांक 29 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/04/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\RKVY\SANKALP\Sankalp-3.docx